फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री ऋषित जैन**
विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 131, 136 एल.आर.एक्ट
पत्रावली संख्या :– **63/25 वाद**
जीसीएमएस नम्बर :– **2025/227**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार आवेदित भूमि ग्राम मोतीखेड़ा प.ह. तुलसीदासजी की सराय के आराजी नम्बर 5003/4987 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि ऋषित मेहता पिता यागेश मेहता 1/4 हि. प्रदीप गलुंडिया पिता करण सिंह गलुडिया 1/4 हि. पलाश मेहता पिता अनिल मेहता 1/4 हि. ललित सिंह गलुंडिया पिता करण सिंह गलुंडिया 1/4 हि. निवासी उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांकःभू.अ./स.वि./2024/21 दिनांक 22.2.2024 से ग्राम मोतीखेड़ा क खाता संख्या 410 आराजी नम्बर 4982/2009 रकबा 2.7519 हेक्टेयर भूमि का सहमति विभाजन का आदेश हुआ। उक्त विभाजन प्रस्ताव में नवीना इण्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड डायरेक्टर यश पिता नितिन जोटा निवासी मुंबई एवं सुरेशचन्द्र पिता केसरीमल जैन निवासी उदयपुर के मध्य विभाजन प्रस्ताव में सुरेशचन्द्र पिता केसरीमल जैन के हिस्से में नवीन आराजी नम्बर 4988/4982 रकबा 1.5378 हेक्टेयर भूमि के मुकाबले बंटवाडा नक्शा ट्रेस में लगभग 0.1198 हैक्टेयर भूमि की पैमुदगी अधिक हो गई जिसस अन्ये खातेदार नवीना इण्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड के बंटवाडा नक्शे में नवीन आराजी नम्बर 4987/4982 रकबा 1.2141 हेक्टेयर भूमि की पैमुदगी में कमी हो गई तथा राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस के क्षेत्रफल में भिन्नता रह गई है। बंटवाडा आदेश एवं ना.सं. 906 संलग्न है।। उक्त बंटवाडा शुदा भूमि में से नवीना इण्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा आराजी नम्बर 4987/4982 रकबा 1.2141 हेक्टेयर भूमि में से 0.8094 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण ऋषित मेहता व अन्य को विक्रित की गई। (नां.सं. 913 संलग्न है) तत्पश्चात कार्यालय हाजा के सहमति विभाजन आदेश क्रमांक.भू.अ./स.वि./ 2024/66 दिनांक 30.9.2024 स प्रार्थीगण ऋषित मेहता वगैरह के नवीन आराजी नम्बर 5003/4987 रकबा 0.8094 हेक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। (नां.स.947 संलग्न है।) राजस्व रिकार्ड में दर्ज 0.8094 हेक्टेयर भूमि क मुकाबले नक्शा ट्रेस में पैमुद की गई भूमि में लगभग 0.1095 हेक्टेयर क्षेत्रफल की कमी होना जाहिर हुआ है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम मोतीखेड़ा पटवार हल्का तुलसीदास जी सराय तहसील मावली की आराजी नम्बर 4982/2009 रकबा 2.7519 हैक्टेयर भूमि का सहमति विभाजन किया गया। उक्त सहमति विभाजन में नवीना इण्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड डायरेक्टर यश पिता नितिन जोटा निवासी मुंबई एवं सुरेशचन्द्र पिता केसरीमल जैन निवासी उदयपुर के मध्य विभाजन प्रस्ताव में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.12.05 11:28:37 IST
Reason: SelfAttested

सुरेशचन्द्र पिता केसरीमल जैन के हिस्से में नवीन आराजी नम्बर 4988/4982 रकबा 1.5378 हेक्टेयर भूमि दर्ज की गई तथा नवीना इण्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड के बंटवाडा नक्शे में नवीन आराजी नम्बर 4987/4982 रकबा 1.2141 हेक्टेयर भूमि दर्ज की गई। उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में सहमति विभाजन अनुसार दर्ज किया गया। परन्तु राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 4988/4982 का रकबा 0.1198 हैक्टेयर अधिक दर्ज कर दिया गया तथा आराजी नम्बर 4987/4982 का रकबा कम दर्ज हो गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सहमति विभाजन में जिस आराजी का जितना रकबा बंटवाड़ा फेहरिश्त में जितना अंकित किया जाता है उसी अनुसार नक्शे में तरमीम करनी चाहिए। परनतु इस प्रकरण में तरमीम गलत कर देने से आराजीयात का रकबा कम ज्यादा अंकित हो गया जो कि न्यायोचित नही है।

तत्पश्चात नवीना इण्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा आराजी नम्बर 4987/4982 रकबा 1.2141 हेक्टेयर भूमि में से 0.8094 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण ऋषित मेहता व अन्य को विक्रित की गई एवं पुनः आराजी नम्बर 4987/4982 का पुनः सहमति विभाजन करवा लिया गया। इस कारण से सहमति विभाजन के दौरान राजस्व नक्शे में तरमिम सही नही करने से उक्त त्रुटि चली आ रही है। जिसे तहसीलदार मावली द्वारा भी स्वीकार किया गया। तहसीलदार मावली द्वारा जमाबंदी में प्रकरण में वर्णित आराजीयात का दर्ज रकबे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। अतः प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाकर जमाबंदी एवं नक्शे का रकबा बराबर कराना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मोतीखेड़ा पटवार हल्का तुलसीदासजी की सराय तहसील मावली के आराजी नम्बर 4988/4982, 5004/4987, 5003/4987 की तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबे/ प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस पत्रावली में प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है, के अनुसार की जावे। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:28:37 IST
Reason: SelfAttested